



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244006
CG-DL-E-01032023-244006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]
No. 138]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023

आधार (आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
(2023 का संख्या 02)

फा. सं. एच.क्यू.-13062/4/2021-ऑथ-II (2023 का संख्या 02).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 यथासंशोधित आधार एवं अन्य विधियां (संशोधित) अधिनियम 2019 (19 की संख्या 14) की धारा 8 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के उप-खंड (एफ) तथा आधार (अधिप्रमाणन एवं ऑफलाइन सत्यापन) अधिनियम, 2021 के विनियमन 12(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आधार (आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का मूल्य निर्धारण) अधिनियम, 2021 के विनियम 3(1) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

भाग-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इस विनियम को आधार (आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का मूल्य निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का संख्या 02) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा एवं 01 अप्रैल, 2023 से प्रदत्त प्रमाणीकरण सेवाओं पर लागू होगा।

भाग-II

2. **विनियम 3(1) में संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 3(1) में यथास्थान वर्णित “15 दिनों” को “30 दिनों” से प्रतिस्थापित किया जाये।

डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./664/2022-23]

टिप्पणी: मूल विनियम अधिसूचना सं. के-11022/632/2019/अधि./भा.वि.प.प्रा.(2021 का संख्या 1) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4, सं. 473, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 में प्रकाशित किए गए।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2023

THE AADHAAR (PRICING OF AADHAAR AUTHENTICATION SERVICES) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

(No. 2 of 2023)

F. No. HQ-13062/4/2021-AUTH-II (No. 2 of 2023).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and sub-clauses (f) of sub-section (2) of Section 54 read with Section 8 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as amended vide the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (No. 14 of 2019) and Regulation 12(7) of the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 hereby makes the following amendment in Regulation 3(1) of the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021, namely:—

Part I**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.**—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) (First Amendment) Regulations, 2023 (No. 2 of 2023).
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette and shall be applicable upon authentication services rendered from 01st April, 2023.

Part II

2. **Amendment of Regulation 3(1):** In Regulation 3(1) of the principal Regulations, “15 days” may be substituted as “30 days”, wherever mentioned.

Dr. SAURABH GARG, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./664/2022-23]

Note: The Principal regulations were published *vide* Notification No. K-11022/632/2019/Auth/UIDAI (No. 1 of 2021), dated 14th October, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, No. 473, dated 14th October, 2021.